न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ल संख्या : 17/605

1. मदन लाल आत्मज श्री नन्दा जाति माली निवासी के0 पाटन बून्दी ।
2. महावीर आत्मज श्री माधोलाल जाति माली निवासी ग्राम देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी।

——अपीलान्ट

बनाम

1. शंकर लाल आत्मज श्री भेरिया जाति माली निवासी ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. किशन लाल पुत्र श्री नन्दलाल जाति माली निवासी ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. जगदीश पुत्र श्री नन्दलाल जाति माली निवासी गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
4. हेमराज पुत्र श्री मदनलाल जाति माली निवासी गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
5. हीरालाल पुत्र श्री नन्दलाल जाति माली निवासी ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. आशाबाई पुत्री नन्दलाल जाति माली निवासी गिरधरपुरा कोटा ।
7. रामनाथी बाई बेवा श्री नन्दा जाति माली निवासी के0 पाटन जिला बून्दी ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेन्द्र भारद्वाज, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री अशोक गुप्ता, श्री मुकेश कुमावत, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 07.03.208

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.10.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 शंकर लाल ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा की कुल 06 किता की 1.58 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण कम 1 से 6 का 1/2 हिस्सा निहित है । अतः वादी के विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वादपत्र की मद नं0 01 में वर्णित आराजी के विभाजन की डिक्री पारित की जाकर अलग–अलग खाते दर्ज किया जावे

था प्रतिवादीगण कम 7 व 8 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 361 की 0.38 हैक्टर के किसी भी भाग पर कोई निर्माण कार्य नहीं करे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.10.2017 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करते हुए स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का आदेश पारित किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.10.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी को वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 के भाई नन्दलाल द्वारा अपने जीवनकाल में ही जरिये इकरारनामा बजरंग लाल पुत्र किशन लाल जाति माली को दिनांक 26.11.90 को विक्रय कर कब्जा संभला दिया था तथा उक्त भूमि प्लाट के रूप में नन्दलाल द्वारा ही काटा जाकर बजरंग लाल को बेचान किया तथा बजरंग लाल द्वारा उक्त भूखण्ड जमीन को जरिये इकरारनामा रामगोपाल पुत्र सोहनलाल जाति ढोली निवासी गिरधरपुरा को दिनांक 08.01.2003 को बेचान कर दिया । उक्त भूमि प्लाट पर बजरंग लाल ने एक हैण्डपम्प भी लगवाया उसके बाद रामगोपाल ने उक्त प्लाट दिनांक 30.03.209 को बजरेय इकरारनामा अपीलान्ट मदनलाल को विक्रय कर दिया तथा मौके पर कब्जा संभला दिया तब से ही अपीलान्ट उक्त भूमि पर बहैसियत केता मालिक काबिज काश्त चला आ रहा है । उक्त भूमि अपीलान्ट की कयशुदा भूमि है जिस पर अपीलान्ट बहैसियत मालिक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । प्रस्तुत प्रकरण में वादी रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहिन को पक्षकार नहीं बनाया है जबकि प्रस्तुत प्रकरण में वह आवश्यक पक्षकार थी । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.10.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

7. रेस्पोडेन्टगण के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । वादग्रस्त आराजी वादी रेस्पोडेन्ट व प्रतिवादी कम 1 से 6 के पिता नन्दल की शामलाती खातेदारी की भूमि थी । नन्दलाल की मृत्यु के बाद इंतकाल नं0 582 से प्रतिवादी कम 1 से 6 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज की गई । उक्त भूमि पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की भूमि है । अपीलान्ट उक्त भूमि को अपंजीकृत इकरारनामा से क्रय करना बताते हैं । संयुक्त खातेदारी की भूमि को बिना विभाजन करवाए किसी विशिष्ट खसरा नम्बर को एक सहखातेदार को बेचान करने का विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.10.2017 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में 2015 (2) डीएनजे पेज 732, 2011 (2) आरआरटी पेज 1253, 2009 (1) पेज

38, 2015 डीएनजे (एससी) पेज 1018 आदि न्यायिक दृष्टांत पेश किये और अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया । पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं साक्ष्य दस्तावेजात का अवलोकन किया जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी वादी रेस्पोडेन्ट व प्रतिवादी कम 1 से 6 के पिता नन्दल की शामलाती खातेदारी की भूमि थी । नन्दलाल की मृत्यु के बाद इंतकाल नं0 582 से प्रतिवादी कम 1 से 6 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज की गई । उक्त भूमि पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की भूमि है । अपीलान्ट उक्त भूमि को अपंजीकृत इकरारनामा से कय करना बताते हैं । संयुक्त खातेदारी की भूमि को बिना विभाजन करवाए किसी विशिष्ट खसरा नम्बर को एक सहखातेदार को बेचान करने का विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है ।

9. हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.10.2017 बहाल रखा जाता है ।

11. निर्णय आज दिनांक 07.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 17/605

1. मदन लाल आत्मज श्री नन्दा जाति माली निवासी के0 पाटन बून्दी ।
2. महावीर आत्मज श्री माधोलाल जाति माली निवासी ग्राम देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी।

—अपीलार्थी

बनाम

1. शंकर लाल आत्मज श्री भेरिया जाति माली निवासी ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. किशन लाल पुत्र श्री नन्दलाल जाति माली निवासी ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. जगदीश पुत्र श्री नन्दलाल जाति माली निवासी गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
4. हेमराज पुत्र श्री मदनलाल जाति माली निवासी गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
5. हीरालाल पुत्र श्री नन्दलाल जाति माली निवासी ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
6. आशाबाई पुत्री नन्दलाल जाति माली निवासी गिरधरपुरा कोटा ।
7. रामनाथी बाई बेवा श्री नन्दा जाति माली निवासी के0 पाटन जिला बून्दी ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.10.2017 अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा ।

अन्तर्गत वाद संख्याः 70/दावा/2009

शंकर लाल आत्मज श्री भेरिया जाति माली निवासी ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

1. किशन लाल पुत्र श्री नन्दलाल जाति माली निवासी ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. जगदीश पुत्र श्री नन्दलाल जाति माली निवासी गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
3. हेमराज पुत्र श्री मदनलाल जाति माली निवासी गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
4. हीरालाल पुत्र श्री नन्दलाल जाति माली निवासी ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
5. आशाबाई पुत्री नन्दलाल जाति माली निवासी गिरधरपुरा कोटा ।
6. रामनाथी बाई बेवा श्री नन्दा जाति माली निवासी के0 पाटन जिला बून्दी ।
7. मदन लाल आत्मज श्री नन्दा जाति माली निवासी के0 पाटन बून्दी ।
8. महावीर आत्मज श्री माधोलाल जाति माली निवासी ग्राम देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.10.2017 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 07.03.2018 को बहाजरी अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री महेन्द्र भारद्वाज एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री अशोक गुप्ता, श्री मुकेश कुमावत के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.10.2017 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने हैं।

यह डिक्री आज तारीख 07.03.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा